

**\*थाना सिधारी\***

**\*15000/- रुपये का इनामिया/गैंगेस्टर का अभियुक्त तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार\***

**\*पूर्व की घटना-\***

दिनांक 01.07.2021 को तत्कालीन स्वाट प्रभारी, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता थाना कोतवाली आजमगढ़ व वर्तमान प्रभारी निरीक्षक सिधारी नन्द कुमार तिवारी मय पुलिस बल द्वारा बैठौली पुलिसिया के पास घेराबन्दी की गयी जिसमें अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर असलहे से फायर करते हुए भागने का प्रयास किया गया कार्यवाही के दौरान घेराबन्दी कर 1.शनि सिंह पुत्र कोमल सिंह निवासी बंशी बाजार थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया हालपता रेलवे स्टेशन घोषी कसामने कस्बा घोषी जनपद मऊ, 2. दिलशाद पुत्र आफताब निवासी मदापुर थाना घोषी मऊ, 3.सुल्तान हैदर पुत्र सलमान, 4. मिनाहल हुसैन पुत्र मो0 साबिर, 5. मो0 फरदीन पुत्र मो0 अख्तर, 6. अभिषेक उर्फ गोलू गुप्ता पुत्र विरेन्द्र गुप्ता निवासीगण बड़ागाँव थाना घोषी जनपद मऊ को गिरफ्तार करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 212/21 धारा 307/34/411/413/414/420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया।

1. दिनांक 01/07/2021 को वादी डा0 संजय सिंह यादव पुत्र नरेन्द्र नाथ ग्राम भगवानपुर थाना अतरौलिया आजमगढ़ द्वारा लिखित सूचना किया गया कि मेरी मो0सा0 यू0पी0 50 ए ई 6810 चोरी हो गयी है । जिसके सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 198/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।

2. दिनांक 15.07.2021 को वादी शिवम सिंह पुत्र मनोज सिंह ग्राम मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ द्वारा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ मे लिखित सूचना दिया कि मेरी अपाची मो0सा0 यू0पी 50 बी ई 4535 रात्रि मे चोरी हो गया है जिसके आधार पर मु0अ0सं0 140/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त मुकदमों में 1. शनि सिंह पुत्र कोमल सिंह ग्राम बंशी बाजार थाना सिकन्दरपुर जिला बलिया हाल पता रेलवे स्टेशन के सामने कस्बा घोसी जनपद मऊ सुल्तान हैदर पुत्र सलमान ग्राम बड़ागाँव थाना घोसी जनपद मऊ व इसके गिरोह के सदस्य:-

2. मिनहाल हुसैन पुत्र साबिर ग्राम बड़ागाँव थाना घोसी जनपद मऊ
3. मो0 फरदीन पुत्र मो0 अख्तर ग्राम बड़ागाँव थाना घोसी जनपद मऊ
4. अभिषेक उर्फ गोलू गुप्ता पुत्र विरेन्द्र गुप्ता ग्राम बड़ागाँव थाना घोसी जनपद मऊ
5. दिलशाद पुत्र आफताब ग्राम मदापुर थाना घोसी जनपद मऊ

का नाम प्रकाश में आया। यह शातिर किस्म के अपराधी हैं। यह गिरोह बनाकर संगठित अपराध कारित करने के अभ्यस्त अपराधी है। स्वयं तथा अपने गैंग के सदस्य बदल-बदल कर आये दिन अपने एवं अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक एवं भौतिक एवं दुनियाबी लाभ अर्जित करने के लिये चोरी, जालसाजी आर्थिक अपराध कारित करते रहते है,

पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ द्वारा 15000/- रुपये पुरस्कार घोषित किया गया था।

**\*गिरफ्तारी का विवरण-\***

आज दिनांक 21.11.2022 को उ0नि0 कमल नयन दुबे मय हमराह व स्वाट द्वितीय प्रभारी निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-156/22 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त शनि सिंह पुत्र कोमल सिंह निवासी बंशी बाजार थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया हालपता रेलवे स्टेशन घोषी के सामने कस्बा घोषी जनपद मऊ को पान दरीबा गेट मूसेपुर से 01 तमन्चा 315 बोर व 0 जिन्दा 2कारतूस 315 बोर के साथ समय 08.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

#### **\*पंजीकृत अभियोग\***

1. मु0अ0सं0- 426/22 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना सिधारी आजमगढ़

थगरफ्तार अभियुक्त

शनि सिंह पुत्र कोमल सिंह निवासी बंशीबाजार थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया हाल पता रेलवे स्टेशन घोषी के सामने कस्बा घोषी जनपद मऊ

#### **\*अपराधिक इतिहास\***

1.मु0अ0सं0- 198/21 धारा 379ध्411ध्413ध्414 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

2.मु0अ0सं0- 212ध्21 धारा 307ध्34ध्411ध्413ध्414ध्420ध्467ध्468ध्471 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

3.मु0अ0सं0- 213ध्21 धारा 3ध्25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली आजमगढ़

4.मु0अ0सं0- 140ध्21 धारा 379ध्411 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़

5.मु0अ0सं0- 156ध्22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

6.मु0अ0सं0- 271ध्21 धारा 379ध्411ध्413ध्414ध्420ध्467ध्468ध्471 भादवि थाना कोतवाली मऊ जनपद मऊ

7.मु0अ0सं0- 426ध्22 धारा 3ध्25 शस्त्र अधिनियम थाना सिधारी आजमगढ़

#### **\*बरामदगी\***

01 तमन्चा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

#### **\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण\***

1.प्र0नि0 नन्द कुमार तिवारी थाना सिधारी

2.निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद सिंह स्वाट टीम

3.30नि0 कमल नयन दूबे थाना सिधारी

4. 30नि0 श्रीप्रकाश शुक्ला स्वाट टीम